न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राज0

पीठासीन अधिकारी– श्री शंकर लाल सालवी , आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या–06 / 2019 दिनांक 15 –05– 2019

:: आदेश ::

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आवेदक श्री गोमा, हरलाल, भैरूलाल, साबुडी, जमना, जानु, कत्तु, लीला पिता गांगु बंजारा की आराजी संख्या 79 , कैलाश कुंवर पत्नी भवानी सिंह राजपुत की आराजी संख्या 80 , अमर लाल पिता भंवर लाल पालीवाल की आ.नं. 81 ,. मै. महाकालिका ईन्टरप्राईजेज जरिये पार्टनर दिलीप कुमार पुरोहित पि। गोवर्धन लाल पुरोहित की आ.नं. 88 ,. श्याम लाल, मांगीबाई पिता प्रताप चमार की आ.नं. 89 , नानु सिंह पिता उंकार सिंह राजपुत की आ.नं. 90 . मानसिंह पिता पृथ्वी बंजारा की आ.नं. 91 , भेरा पिता परथा राजपुत आ.न की आ0न0 1207 / 83 , मदन पिता परथा राजपुत की आ.सं. 83मी , जगदीश, श्यामलाल, गोन्दी सुपा / दुर्गा जानी बेवा दुर्गा बंजारा की आ.नं. 92 , भवानी सिंह / भुवानी सिंह, शम्भु सिंह पिता ओनार सिंह की आ.सं. 84 द्वारा उनकी खातेदारी में दर्ज मौजा आकोलाकंला की उक्त आराजीयात पर आने–जाने हेतु रिकोर्डेड रास्ता नहीं होकर मौजा आकोलाकलां की चारागाह आराजी नम्बर 78 के कदीमी रास्ते को रिकार्ड के अनुसार रास्ते की तरमीम करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिस पर तहसीलदार भदेसर से रिपोर्ट ली गई जिन्होंने प्रतिवेदित किया गया कि प्रार्थीगण की खातेदारी के पास स्थित मौजा आकोलाकंला की आराजी नम्बर 78 रकबा 11.70 किस्म बंजड भूमि पर प्र्याप्त चौडाई का आवागमन हेतु जो मार्ग उपलब्ध है वह भूमि राजस्व रेकार्ड में चारागाह दर्ज है उस भूमि का रास्ते हेतु उपयोग किया जा रहा है। जिसका नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से अंकन अनुसार चारागाह राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज किया जाना उचित है।

तहसीलदार भदेसर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगणों की आराजी पर पहुंच मार्ग का अभाव होकर अन्य कोई रिर्कोडेड मार्ग उपलब्ध नहीं होना प्रमाणित है तथा प्रार्थीगण की आराजीयात पर पहुंच हेतु केवल प्रस्तावित चारागाह आराजी नम्बर 78 रकबा 11.70 में से होकर जाना ही विकल्प बताया है ।

राजस्व ग्रुप–6 विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र कमांक पं.2 (63) राज.9 / 2014 जयपुर दिनांक 20–9–2014 एवं परिपत्र कमांक प.3(52) राज.6 / 2012 / 4 जयपुर दिनांक 14–1–2014 एवं राजस्व ग्रुप–9 विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र कमांक पं.2 (63) राज.9 / 2014 जयपुर दिनांक 29–9–2014 के अनुसरण में संबंधित खातेदार को अपनी आराजीयात / खेतों पर पहुंच के लिए रास्ता गुजरता है या नवीन रास्ता

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जि. चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned by CamScanner

प्रस्तावित है तो रास्ते में आने वाली भूमि का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत समर्पण किया जाकर रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाता है यदि ऐसे प्रस्तावित रास्ते के बीच में यदि कोई भूमि पडती है तो खातेदार अपनी जोत तक नया मार्ग कायमी हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क में प्रावधान किया गया है । खातेदार की जोत तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव होने की स्थिति में राजस्थान स्टाम्प नियम 2014 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि की दरों का दुगना प्रतिकर लिया जाकर रास्ता प्रदत्त किया जाने के प्रावधान किये गये हैं । अथवा प्रार्थी द्वारा जितनी भूमि चारागाह में रास्ते हेतु चाही जा रही है उतनी ही भूमि स्वंय की खातेदारी भूमि में से चारागाह में दर्ज किये जाने का आवेदन करने पर चारागाह भूमि के बदले समर्पण की जाने वाली भूमि को चारागाह में दर्ज किया जाने पर राजकीय रास्ता सार्वजनिक दर्ज किया जाने के प्रावधान किये गये है ।

तहसीलदार भदेसर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीगणों की जोत पर पंहुच मार्ग का अभाव होना प्रतीत है तथा नियमो के परिपेक्ष्य में प्रार्थीगण की आराजीयात पर पहूंच मार्ग हेतु प्रस्तावित चारागाह आराजी संख्या 78 रकबा 11.70 हैक्टैयर में से रास्ते हेतु प्रयुक्त होने वाली भूमि के एवज में उतनी ही भूमि प्रार्थी मै. महाकालिका ईन्टरप्राईजेज जरिये पार्टनर दिलीप कुमार पुरोहित पिता गोवर्धन लाल पुरोहित निवासी चेकलवास तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द द्वारा उनकी मौजा आकोलाकलां की खातेदारी आराजी संख्या 38 में से दिये भूमि चारागाह में दिये जाने हेतु समर्पण पर नोटेरी से तस्दीक शुदा प्रस्तुत किया गया है ।

अतः तहसीलदार भदेसर द्वारा प्रस्तावित अनुसार प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र निम्नाकिंत शर्तो के अध्यधीन स्वीकार किया जाता है :–

1. ग्राम आकोलांकला पटवार हल्का आकोलाकंला तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ की उक्त प्रार्थीगण की वर्णित आराजी संख्या 80, 81, 88, 89, 90, 91, 92, 83मी पर पंहुच मार्ग के अभाव होने से वैकल्पिक मार्ग के रूप में चारागाह आराजी नम्बर 78 रकबा 11.70 हैक्टेयर भूमि में से आ0न0 79, 80, 81 के पश्चिमी सीमा से लगते हुए आ0स0 81 पूर्व तरफ आगे जाकर आ0न0 88 तक पहुंच मार्ग के रूप में 330 मीटर लम्बाई एवं 3 मीटर चौडाई वाला कुल 990 वर्गमीटर भूमि रास्ते को तहसीलदार भदेसर द्वारा प्रस्तावित अनुसार राजस्व रेकार्ड में – राजकीय सार्वजनिक रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है ।
2. रास्ता हेतु प्रयुक्त होने वाली भूमि पर प्रार्थीगण का एकाधिकार नहीं होकर सार्वजनिक हितार्थ होगा तथा इस संबंध में प्रार्थीगण द्वारा रास्ते की भूमि के स्वामित्व को लेकर वाद विवाद न्यायालय में दाखिल कराने का अधिकार नहीं होगा । तथा राज्य सरकार जब चाहे इस आदेश को परिवर्तित/विड्रो कर सकती है ।

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned by CamScanner

3. प्रार्थी मै. महाकालिका ईन्टरप्राईजेज जरिये पार्टनर दिलीप कुमार पुरोहित पिता गोवर्धन लाल पुरोहित निवासी चिकलवास तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द द्वारा उनकी खातेदारी में दर्ज आराजी संख्या 88 रकबा 0.6500 हैक्टैयर में से दिये गये रास्ते के एवज में चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु अपनी उक्त आराजी में से 330 मीटर लम्बाई एवं 3 मीटर चौडाई वाला कुल 990 वर्गमीटर भूमि का राज्य पक्ष में समर्पण किया गया है जो मौके की संरचना के आधार पर चारागाह से लगती हुई भूमि के साथ चारागाह दर्ज की जावे जिस पर उक्त खातेदार भविष्य में अपना स्वामित्व जाहीर नहीं कर सकेगें।

निर्णय की पालनार्थ तहसीलदार भदेसर को उक्तानुसार चारागाह में से रास्ते हेतु भूमि व खातेदारी में से चारागाह हेतु समर्पण भूमि का राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करावें । निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(शंकरलाल सालवी)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

Scanned by CamScanner